महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

P19/IV/INW/27 **26.06.2023**

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of enhanced rate of Dearness Relief **@ 42% w.e.f. 01.01.2023** to pensioners/family pensioners of Uttar Pradesh State Government – reg.

Ref: **1**. Letter no. Pension Misc. /11670 dated .06.06.2023 received from the office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Prayagraj.

2. Memorandum No. 10/2023/I/319051/2023/File No. 10-22099/1401/2020 dated 19.05.2023, Government of Uttar Pradesh, Luchnow, Finance (General) Section-3.

I am to enclose herewith the copy of letter received from the office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, regarding grant of enhanced rate of Dearness Relief **@ 42% w.e.f. 01.01.2023** to pensioners/family pensioners of Uttar Pradesh State Government. The same is being placed in the official website of this office, **www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension – download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners"**. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

26/6/23

Sr. Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries
   Thiruvananthapuram
2. The Office of the Principal Accountant General (A&E)-II
   20 Sarojani Naidu Marg, Uttar Pradesh, Prayagraj

-For information.

-Sd/-

Sr. Accounts Officer

P19/IV/DRSSA/27
22/06/2023

DRSSA

P-19
68995
20-06-2023

पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 प्रयागराज
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

पत्रांकः–पेंशन विविध/11670
दिनांकः– 06/06/2023

सेवा में,

कार्या० महालेखाकार (ले०एवं हक०) केरला,
एम.जी. रोड, तिरुवनन्तपुरम, -695001

विषय :- राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

शासनादेश :- 10/2023/आई/319051/2023/फा0नं0-10-22099/1401/2020 लखनऊ,

दिनांक - 19-05-2023

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

Shukla
05/06/2023

वरि0 लेखाधिकारी / पेंशन विविध

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-10/2023/आई/319051/2023/फा0नं0-10-22099/1401/2020
लखनऊ :दिनांक 19 मई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महॅगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-23/2022/आई/227018/2022/फा0नं0-10-22099/1401/2020 दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 से महॅगाई राहत की दर 34 प्रतिशत से बढ़ा कर 38 प्रतिशत की गयी थी।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनॉक 01 जनवरी, 2023 से महँगाई राहत की 04 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 38 प्रतिशत से बढ़कर दिनॉक 01 जनवरी, 2023 से 42 प्रतिशत हो जायेगी।

4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

8- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध जो इसके संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित है, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सेवा में,

(1) उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारीगण।

(2) महलेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(3) महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, , देहरादून।

(4) समस्त राज्यो के महालेखाकार।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।